(305)

दस रुपये TEN RUPEES — दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर मध्य-प्रदेश

निगरानी प्र.क्र. I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/1940 सन् 018

हल्के तनय किरिया अहिरवार,

नि०/ग्राम- जरेठा कला, तह० गौरिहार,

जिला छतरपुर म०प्र०, ----- प्रार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम

मध्य-प्रदेश शासन --- प्रति प्रार्थी/गैर निगरानीकर्ता

कार्यालय कलेक्टर
जिला छतरपुर म०प्र०
प्रस्तुतकर्ता का नाम श्री के०पी० पाठक
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
शाखा का नाम RSC [illegible]
दिनांक 5-3-2018
अधीक्षक
5-3-2018

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर दि. 19.1.18 जो प्र.क्र. 306/स्वा.प्रे. निगरानी/2004-05 में पारित किया गया ।

महोदय,

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत की जाती है :-

1. यहकि भूमि ख.नं. 62,68,70,79, रकवा क्रमशः 0.105, 0.097, 0.065, 0.016 हे० स्थित ग्राम पुराना हुंग का चक व्यवस्थापन 08000 तहसीलदार महोदय गौरिहार के आदेश दि. 28.2.03 द्वारा - प्रार्थी/ निगरानीकर्ता के पक्ष मे स्वीकृत किया गया था, जिसको 14 वर्षों के बाद अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर द्वारा स्वा प्रेरणा निगरानी के रूप मे सुनवाई मे लिया गया है । जबकि कानूनन किसी प्रकरण मे पारित आदेश को 2, वर्षों के बाद स्वाप्रेरणा निगरानी के रूप मे सुनवाई मे नहीं लिया जा सकता है ।

2. यहकि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम डाडरी की भूमियों के चक व्यवस्थापन के संबंध मे कारण बताओ नोटिस दिया गया जबकि ग्राम- पुराना हुंग की भूमियों को शासकीय दर्ज करने के आदेश दि० 19-1-018 को कानून के विपरीत दिये गये है जिससे दुखित होकर प्रार्थी/ निगरानीकर्ता निम्नलिखित आधारों पर यह निगरानी आवेदन [illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/1940 हल्के विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 306/स्व.प्रे.निग./2004-05 में पारित आदेश दिनांक 19-01-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 25-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 28/2/2019	